न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 125/2019 दर्ज तिथि :– 07.08.2019

श्री श्यामलाल पिता हजारी मीणा आयु 43 वर्ष निवासी गादोला तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

.................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री आशाराम प्रजापत
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि :– 06.06.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या–159 एवं 158 वाके ग्राम गादोला, पटवार हल्का, गादोला तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
159	श्री छगनलाल, किशनलाल, राधेश्याम पिता हजारी मु. बसन्ती पत्नि हजारी किशन राधेश्याम ना.बा.स.प.माता बसन्ती शेष बदस्तुर	820	0.11 हैक्टेयर

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
158	श्री छगनलाल, किशनलाल, गंगाबाई पिता हजारी मु. बसन्ती पत्नि हजारी 1/2 शेष बदस्तुर	109	0.77 हैक्टेयर
		127	0.40 हैक्टेयर
		821	0.23 हैक्टेयर
		[illegible]	0.04 हैक्टेयर
		[illegible]	0.27 हैक्टेयर
		[illegible]	0.09 हैक्टेयर
		[illegible]	0.28 हैक्टेयर
		[illegible]	1.05 हैक्टेयर
		833	1.04 हैक्टेयर
	कुल योग	**9**	**4.17 हैक्टेयर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा
Scanned with OKEN Scanner

2. उक्त खाता संख्या 159 में प्रार्थी का नाम श्यामलाल के बजाय राधेश्याम दर्ज कर दिया गया एवं खाता संख्या 158 में प्रार्थी का सहवन से खाते में नाम दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थी श्री श्यामलाल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 159 में राधेश्याम के बजाय प्रार्थी का नाम श्यामलाल दर्ज किये जाने एवं खाता संख्या 158 में प्रार्थी के पिता हजारीलाल के वारिसान के साथ साथ प्रार्थी का नाम जो सहवन से दर्ज करना रह गया उसमें दर्ज किया जावे।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत नाम दुरूस्त करने एवं पूर्ववत पुनः नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

4. मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट में दर्ज अंकन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण में ग्राम गोदाला की जमाबंदी संवत 2071–2074 की खाता संख्या 159 में प्रार्थी का नाम श्यामलाल के बजाय राधेश्याम दर्ज कर दिया गया जो सहवन से किया गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार खाता संख्या 158 में दर्ज आराजी किता 9 रकबा 4.17 जो साबिक आराजी किता 9 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा थी उसमें हजारीलाल 1/2 की विरासत की नामान्तरण संख्या 1502 दिनांक 1.11.2001 द्वारा छगनलाल, किशनलाल, श्यामलाल, गंगाबाई पिता हजारीलाल मु.बसन्तीबाई बेवा हजारीलाल 1/2 का नाम दर्ज रिकार्ड किया गया था। जिसका अमल ग्राम गादोला की जमाबंदी संवत 2058–2061 की खाता 509 में दर्ज साबिक आराजी किता 9 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा में किया गया एवं इसी खाते [illegible] संख्या 1556 दिनांक 14.02.2005 रहननामा का नोट लगा हुआ है जिसमें श्यामलाल [illegible] छगनलाल का हिस्सा चि.सह. भू.वि.बैंक लि. निम्बाहेडा के नाम रहन दर्ज हुआ [illegible] साबिक आराजियात के मिलान क्षेत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर किन्तु [illegible] में खाता संख्या 158 में दर्ज अंकित आराजियात है। संलग्न दस्तावेजात जिसमें प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनाधार कार्ड की फोटो प्रतियों में भी प्रार्थी का नाम श्यामलाल दर्ज रिकार्ड है एवं ग्राम पंचायत, गादोला द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी श्यामलाल पिता हजारी का वास्तविक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

यही है एवं ग्राम में श्यामलाल को राधेश्याम के नाम से भी बुलाया जाता था किन्तु श्यामलाल व राधेश्याम एक ही व्यक्ति है जिनका फोटो भी सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी, गादोला द्वारा प्रमाणित किया गया है। किन्तु सहवन से नवीन सेटलमेन्ट के दौरान उक्त खाते में प्रार्थी श्री श्यामलाल का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि खाता संख्या 158 में दर्ज आराजियात अतः ग्राम गोदाला की उक्त खाता संख्या 159 व 158 में प्रार्थी का नाम श्यामलाल पिता हजारीलाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है:–

> *प्रार्थना–पत्र में आवेदित तथ्यों/शुद्धि के संबंध में जांच पूर्व साबिक रिकार्ड एवं मोतबिरान से पूछताछ कर की गई। ग्राम गादोला की आ.नं. 820 रकबा 0.11 हैक्टेयर में राधेश्याम 1/32 के बजाय श्यामलाल 1/32 दर्ज किया जाना एवं आ.नं. 109, 127, 821, 822, 823, 824, 826, 829 एवं 833 में हजारीलाल के वारिसानों के साथ–साथ एक हिस्से में श्री श्यामलाल 1/10 का नाम अंकित किये जाने की अनुशंषा की है।*

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा [illegible] में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलम[illegible] करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 पूर्व रिकॉर्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गादोला, पटवार मण्डल गादोला की वादग्रस्त आराजियात आ.नं. 820 रकबा 0.11 में राधेश्याम 1/32 के बजाय श्यामलाल 1/32 एवं आ.नं. 109, 127, 821, 822, 823, 824, 826, 829 एवं 833 कुल किता 9 रकबा 4.17 हैक्टेयर में प्रार्थी श्री श्यामलाल पिता हजारीलाल 1/10 अंकित जाने एवं हजारीलाल के शेष वारिसान छगनलाल, किशनलाल, गंगाबाई पिता हजारीलाल, बसन्तीबाई पत्नि हजारी प्रत्येक का हिस्सा 1/8 के बजाय 1/10 संधारित करने के आदेश तहसीलदार निम्बाहेड़ा को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प स्थल ग्राम पंचायत, गादोला में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

6/6/23

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:07:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner